राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 148/2015/जयपुर.
2. अपील संख्या – 149/2015/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–III, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स डाइकिन एयरकन्डिशनिंग इण्डिया प्रा. लि.,
78 किरणपथ, सूरज नगर वेस्ट, सिविल लाईन्स, जयपुर .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी.कुमार
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 26/10/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा उक्त दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 248 व 249/अ.प्रा.–II/आरवीएटी/जयपुर में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 28.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट–तृतीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.09.2013 के विरूद्ध अपीलें स्वीकार कर प्रत्येक कर आदेश में आरोपित शास्ति रुपये 30,000/– को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 27.09.2013 को दो वाहनों को नीमराणा से दिल्ली परिवहनित करते हुए चैक किया गया। माल प्रभारी द्वारा माल से सम्बन्धित बिल, एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये परन्तु परिवहनित माल जांच अधिकारी अनुसार अधिसूचित श्रेणी का होने से इसके साथ वैध घोषणा प्रपत्र वैट–49 होना आवश्यक बताया गया था, जो साथ नहीं पाया गया। इस आक्षेप के साथ जारी कारण बताओ नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा जाहिर किया गया कि परिवहनित माल Burnt Scrap Defective & Non-saleable Goods है जो अधिसूचित वस्तु नहीं है अतः घोषणा पत्र की आवश्यकता नहीं है, परन्तु फिर भी नोटिस की पालना में वैट–49 भी प्रस्तुत कर दिया गया, परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा व्यवहारी के

लगातार.....2

जवाब को अस्वीकार करते हुए माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के उल्लंघन में धारा 76(6) के तहत प्रत्येक प्रकरण में रुपये 30,000/– की शास्ति का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2014 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गयी है।

3. दोनों अपीलों के तथ्य एवं पक्षकार एक ही होने से दोनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है क्योंकि वक्त जांच घोषणा पत्र संलग्न नहीं था। अतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण अपील स्वीकार की गई थी। कथन किया कि व्यवहारी के गोदाम में आग लग जाने के कारण माल दोष पूर्ण व गैर बिक्री योग्य हो गया था जिसे स्क्रेप कहना उचित नहीं है एवं नियम 54 की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009–24 दिनांक 08.07.2009 के तहत अधिसूचित वस्तु नहीं होने से वैट–49 आवश्यक नहीं था फिर भी नोटिस के जवाब के साथ वैट–49 प्रस्तुत कर दिया गया था। सशक्त अधिकारी द्वारा तथ्यों को बिना देखें ही आदेश पारित कर दिया गया जो वैधानिक तथा तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि माल के साथ वैध बिल संलग्न था अतः उन्होंने प्रस्तुत अपीलें को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

7. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहन में जांच के दौरान 'Burnt Scrap Defective & Non-saleable' माल को राज्य के बाहर अन्तर्राज्यीय विक्रय में परिवहन के दौरान घोषणा पत्र वैट–49 प्रस्तुत नहीं होने के आधार पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित की थी, उसे अपीलीय अधिकारी ने इस आधार पर अपास्त की है कि प्रथमतः यह बिन्दु विवादित था कि परिवहनित माल अधिसूचित है या नहीं एवं जांच के दौरान वाहन रोकने पर नोटिस के जवाब के साथ घोषणा पत्र की आवश्यकता नहीं होने के तर्क के साथ वैट–49 भी प्रस्तुत कर दिया था अतः राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय स.वा.

लगातार.....3

क.अ. घट–II, प्रतिकरापवंचन, पाली बनाम मैसर्स कांकरिया मशीन स्टोर, जोधपुर 37 टीयूडी 227 के आलोक में शास्ति आरोपण अविधिक माना गया। प्रकरण तथ्यों पर विचार किया गया पाया कि व्यवहारी द्वारा परिवहनित माल को स्क्रेप के रुप में विक्रय नहीं किया गया था ऐसी स्थिति में उनके द्वारा घोषणा पत्र की आवश्यकता नहीं मानते हुये घोषणा पत्र नहीं दिया गया परन्तु सक्षम अधिकारी की राय के अधीन घोषणा पत्र को नोटिस के जवाब में प्रस्तुत कर दिया गया था। उक्त तथ्यों के मददेनजर माल के अधिसूचित होने के विवाद के कारण घोषणा पत्र नहीं देने से एवं नोटिस के जवाब में कमी पूर्ति के रुप में घोषणा पत्र पेश कर देने से माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मैसर्स डी. पी. मैटल्स (2001) 124 एस.टी. सी. 611** के आलोक में शास्ति का आरोपण उचित नहीं है।

8. उक्त तथ्यात्मक तथा विधिक स्थिति के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं होने से राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

16/10/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य